यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिचाई खंड, चम्बा, टिहरी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिचाई खंड, चम्बा, टिहरी के माह 10/2017 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 18/01/2021 से 25/01/2021 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी इसमे माह 10/2017 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य/अनुरक्षण के कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला - टिहरी गढ़वाल है।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2017-18		-	31.20	20.99	7.50	7.46		
2018-19		-	233.74	222.60	770.90	608.77		
2019-20		-	9.41	8.58	1636.85	1267.58		
2020-21 (12/20 तक)		-	4.55	0.78	1174.87	827.04		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-) अधिक्य (+)
2017-18	पी एम जी एस वाई		7.50	7.46	
2018-19	,,		770.90	608.77	
2019-20	,,		1636.85	1267.58	
2020-21	,,		1174.87	827.04	

(i) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "बी" है।

(ii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1)सचिव , उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास विभाग।

(2)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

तकनीकी संवर्ग मे:

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

(5) मुख्य अभियंता, कुमाऊँ हल्द्वानी, (6) अधीक्षण अभियंता, मसूरी

(7) अधिशासी अभियंता (8) सहायक अभियंता

(9) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक (7) वरिष्ठ सहायक (8) कनिष्क सहायक।

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिचाई खंड, चम्बा टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰,

सिचाई खंड, चम्बा टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/2019 एवं 10/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा बिकोल से भंडारकी मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में शून्य निरीक्षण किया गया।

5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई ।

6. फार्म 51: माह 12/2020 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित नहीं किया गया है।

भाग प्रथम ... शून्य

भाग द्वितीय .... शून्य

7. खंड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 12/2020 के अंत में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	शून्य
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	शून्य
(ङ)	भंडार	शून्य

भाग–दो **'ब'**

प्रस्तर 1 : ***मार्ग निर्माण कार्य की मद (जीएसबी) मे उच्च दरों वाली सामग्री का प्रावधान/निष्पादन किए किए जाने के परिणामस्वरूप योजना पर परिहार्य व्ययभार `13.34 लाख तथा मार्ग पर भूमि अधिग्रहण के बिना ही ` 177.22 लाख का कार्य कराया जाना ।***

जनपद टिहरी गढ़वाल मे पी.एम.जी.एस.वाई. चम्बा के अंतर्गत निर्माण किए गए थान से सबली मल्ली मोटर मार्ग के 3.15 किमी० मे स्टेज-I & II हेतु स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा फ़ेस-XV (UT-11-45) के अन्तर्गत ` 239.02 लाख (214.91 लाख निर्माण कार्य + रु 24.11 लाख अनुरक्षण कार्य) की दिनांक 12.07.2017 को प्रदान की गयी थी। जिस पर रु 239.02 लाख की ही प्राविधिक स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई०, मसूरी वृत, देहरादून द्वारा प्रदान की गयी (12/2017)। कार्य निष्पादन हेतु रु 199.26 लाख लागत का अनुबंध संख्या: 78/CE-URRDA/2017-18 दिनांक 08.02.2018 मै० जय दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी को गठित किया गया। जिसके अंतिम देयक के अनुसार रु 177.22 लाख का व्यय किया जा चुका था। जिससे संबन्धित अभिलेखो की जांच (01/2021) मे पाया गया कि:-

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) दिशानिर्देशिका का प्रस्तर 9.3 यह प्रावधान करता है कि ग्रामीण सड्को का स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुये किफायती डिजाइन किया जाना चाहिए। साथ ही IRCSP-20-2002 के बिन्दु संख्या 4.3.3 एवं IRC-72-2015 के बिन्दु संख्या 5.2 के प्रावधानों के अनुसार भी ग्रामीण सड़को के निर्माण मे स्थानीय सामग्री को प्राथमिकता दी जानी चाहिए,साथ ही वित्तीय नियमानुसार भी सरकारी धन का उपयोग करते हुये समय सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को हमेशा मितव्यतता का ध्यान रखना चाहिए। जबकि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खंड, चम्बा द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे थान से साबली मल्ली मोटर मार्ग स्टेज-I & II), की लेखा परीक्षा तिथि (01/2021) मे पाया गया की कार्य मे आधार सतह (sb-Base-Course) का निर्माण भारतीय रोड काँग्रेस (IRC) के विशिष्टि संख्या-401.4 (तालिका-400.13) के अनुसार प्राकृतिक रूप से उपलब्ध/ स्थानीय जी.एस.बी. (Granular Sub-base) सामग्री (Naturally occurring/ locally available material) दर रु 549.90/cum के साथ न कर, उच्च दर की खदान सामग्री (Well Graded quarried GSB material) दर रु 1667.20/cum का प्रावधान किया जा रहा था। तथा ठेकेदार को भी GSB हेतु रु 1350.00/cum का भुगतान किया गया। जबकि मार्ग की आधार सतह (Base-Course) मद का निष्पादन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध/ स्थानीय जी.एस.बी. सामग्री के साथ भी किया जा सकता था। जोकि खंड के अंतर्गत अन्य कार्यो मे किया जा रहा था। खंड द्वारा उक्त मद (जीएसबी) हेतु प्रति घनमीटर `800.10 (`1350.00- ` 549.90) की उच्च-दर ली गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप

कार्य/ योजना पर `**13,34,878.84** [संपादित मात्रा- 1668.39 cum x ` 800.10] का अतिरिक्त परिहार्य व्ययभार पड़ा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर मे अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी॰पी॰आर॰ की मदों के अनुसार कार्य कराया गया।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि उक्त प्रावधानों के अनुसार सब बेस का कार्य स्थानीय सामग्री से ही किया जाना चाहिए था साथ मित्तव्यतता के साथ डी॰पी॰आर॰ गठित किया जाना पीआईयू /अधिशासी अभियंता का उत्तरदायित्व है। उक्त प्रावधानों के विपरीत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री के स्थान पर उच्च दर वाली जीएसबी का प्रावधान करने के संबंध मे खण्ड के पास कोई प्रमाण नही थे। न ही एन.आर.आर.डी.ए/एस.आर.आर.डी.ए से कोई आदेश/निर्देश उपलब्ध था। साथ ही खण्ड के अंतर्गत अन्य कार्यो मे जीएसबी हेतु स्थानीय सामग्री का ही उपयोग किया जा रहा था । यदि अन्य कार्यो की तरह इस कार्य मे भी स्थानीय सामग्री का प्रावधान किया जाता तो जीएसबी मद मे अतरिक्त किए गए रु 13.34 लाख के अनावश्यक व्यय से भी बचा जा सकता था।

2. वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -06 के प्रावधान नियम 378 के अनुसार बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए इसी प्रकार पी॰ एम॰ जी॰ एस॰ वाई॰ दिशा निर्देश पुस्तिका 2015 के नियम 6.12 व 9.3 के अनुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए । किन्तु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -15 के अंतर्गत संख्या यू टी -11-45 के अनुसार थान से साबली मल्ली मोटर मार्ग स्टेज-1 & II की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 27.07.2017 मे 3.15 कि॰मी॰ की सड़क निर्माण हेतु रु 239.02 लाख की प्राप्त हुई थी। जिससे संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त मार्ग का कार्य दिनांक 08.02.2018 को प्रारम्भ कर दिनांक 11.05.2019 को पूर्ण कर लिया गया किन्तु भूमि अधिग्रहण हेतु प्रावधान की गयी राशि रु 51.07 लाख का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना था, का वितरण अभी तक नही किया गया था। जबकि उक्त मार्ग पर स्वीकृत राशि रु 239.02 लाख के सापेक्ष रु 177.21 लाख व्यय की जा चुकी थी। तथा कार्य पूर्ण हुये भी 19 माह व्यतित हो चुके थे । किन्तु मार्ग में 2.176 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु किसानो को रु 51.07 लाख के प्रतिकर का भुगतान नही किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर मे अवगत कराया गया कि शासन द्वारा माह अक्टूबर 2019 को भूमि प्रतिकर हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी थी किन्तु आथराईजेशन प्राप्त न होने के कारण भुगतान की कार्यवाही नही की गयी गयी।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योकि उक्त प्रावधानों के विपरीत भूमि आधिग्रहण किए बिना मार्ग पर भारत सरकार से राशि प्राप्त कर रु 177.21 लाख का व्यय किया जाना उचित नही था। साथ ही कार्य समाप्ति के 19 माह बाद भी किसानो को रु 51.07 लाख के प्रतिकर का वितरण अपेक्षित था।

अत: मार्ग निर्माण कार्य की मद (जीएसबी) मे उच्च दरों वाली सामग्री का प्रावधान/निष्पादन किए जाने के परिणामस्वरूप योजना पर अतिरिक्त परिहार्य व्ययभार रु 13.34 लाख तथा मार्ग पर भूमि अधिग्रहण के बिना ही रु 177.22 लाख का कार्य कराये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः 2 *`283.46 लाख की राशि व्यय किए जाने उपरांत भी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य अपूर्ण रहने से योजना के उद्देश्यों की पूर्ति न होना एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार इन्शुरेंस न कराने पर उससे ` 7.15 लाख की कटौती न कर, ठेकेदार को अदेय लाभ दिया जाना।*

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना **दिशा निर्देश 2015 के** प्रस्तर-6.13 एवं 8.4 यह भी प्रावधान करता है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) गठित करते समय संबन्धित पी०आई०यू० के सहायक अभियंता द्वारा ग्राम प्रधान, स्थानीय पटवारी एवं वन विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुये अनौपचारिक सर्वेक्षण भ्रमण एवं परामर्श करेंगे, ताकि अधिक से अधिक संरेखण एवं भूमि उपलब्धता की जा सके तथा बाद मे पैदा होने वाले विवाद से बचा जा सके।
प्रस्तर 8.5 (VI) (क) के अनुसार मार्ग पर जब तक स्टेज ॥ का कार्य नहीं कर दिया जाता तब तक संबन्धित बसावट को संपर्क युक्त बसावट नहीं माना जायेगा।

जनपद टिहरी गढ़वाल मे पी.एम.जी.एस.वाई. चम्बा के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे नागणी से मठियान मोटर मार्ग स्टेज-I & II के निर्माण की स्वीकृति ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा फ़ेस-XV (UT-11-13) के अन्तर्गत `864.04 लाख (`784.19 लाख निर्माण कार्य + `79.85 लाख अनुरक्षण कार्य) की दिनांक 12.07.2017 को प्रदान की गयी थी। जिस पर `792.58 लाख (`712.73 लाख निर्माण कार्य+ `79.85 लाख अनुरक्षण कार्य) राशि की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून द्वारा प्रदान की गयी (09/2018)। जिससे संबन्धित अभिलेखो की जांच (01/2021) मे पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाता मै0 कैलाश हिलवेज, ऋषिकेश के साथ अनुबंध स॰-110/CE/URRDA/2018-19 दिनांक 12.11.2018 (अनुबंधित राशि- ` 715.24 लाख) गठित किया गया था । जिसके अनुसार कार्य दिनांक: 17.11.2018 को प्रारम्भ कर दिनांक 16.08.2019 तक अर्थात 09 माह मे पूर्ण किया जाना था। किन्तु अभिलेखो मे पाया गया कार्य समाप्ति की तिथि से 17 माह बाद भी ठेकेदार को दो बार दिनांक: 31.03.2020 तक एवं पुन: दिनांक 17.01.2021 तक समयवृद्धि दिये जाने के बाद भी स्टेज-I लगभग 32 प्रतिशत का कार्य ही पूर्ण किया गया था तथा स्टेज-II के कार्य मे भी 9.98 किमी0 के सापेक्ष लगभग 5 किमी मे ही GSB, G2 एवं G-3 का कार्य किया गया था। शेष कार्य अवरुद्ध पड़ा था। ठेकेदार द्वारा दी गयी बैंक गारंटी की वैधता भी दिनांक 19.10.2020 को समाप्त हो चुकी थी। जिसके बाद ठेकेदार द्वारा उसकी वैधता नही बढ़वाई गयी थी। कार्य पर लेखापरीक्षा तिथि तक रु 283.46 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद कार्य अभी अपूर्ण था। जबकि उक्त मोटर मार्ग के पूर्ण हो जाने से कुल 846 लोगो को

लाभान्वित होना था। यहां यह भी पाया है कि सम्बन्धित ठेकेदार को 17.01.2021 के बाद कोई समयवृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी थी। ठेकेदार द्वारा दी गयी बैंक गारंटी की वैधता भी दिनांक 19.10.2020 को समाप्त हो चुकी थी। साथ ही डी०पी०आर० मे आधार सतह (sub-Base-Course) मे उच्च दर की खदान सामग्री (Well Graded quarried GSB material) दर रु 1667.20/cum का प्रावधान कर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गयी। जिसके पश्चात कार्य निष्पादन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध/ स्थानीय जी.एस.बी. सामग्री दर रु 549.90/Cum के साथ ही किया गया। विभाग द्वारा उक्त मद (जीएसबी) हेतु प्रति घनमीटर ` 1117.3 (` 1667.20- `549.90) की अधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी, जिसके परिणामस्वरूप मद/योजना पर भारत सरकार से **`60,69,441.75** [प्रावधानिक मात्रा- 5432.24cum x ` 1117.30] की अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त की गयी।

आगे अनुबन्ध मे संलग्न स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, **व्यक्तिगत** चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से **(i)** अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, **(ii)** अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं **(iii)** अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए। किन्तु उक्त कार्य हेतु गठित अनुबन्ध की जांच मे पाया गया कि स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही विभाग द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरुप 01 प्रतिशत की कटौती की गई। **जबकि** अनुबन्धित धनराशि `715.24 लाख के सापेक्ष 01 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि ` 7.15 लाख की कटौती उससे की जानी थी जो नही की गयी थी।

इस संबंध में इंगित करने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग पर वन भूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति माह नवम्बर 2018 को प्राप्त हुई थी। वृक्षो के कटान/छपान एवं covid-19 के कारण कार्य अभी पूर्ण नही हो पाया है। कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 17.01.2021 के बाद समयवृद्धि प्रकरण उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया है । बैंक गारंटी की वैधता बढ़ाने हेतु ठेकेदार से पत्राचार किया जा रहा है तथा डीपीआर मे प्रावधानिक जीएसबी के अनुसार ही कार्य करवाए गए है। इन्शोरेंस हेतु भी ठेकेदार से पत्राचार किया जाएगा ।

सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मार्ग के संरेखण मे पड़ने वाले पेड़ो का कटान/छपान एवं कोविड-19 हेतु ठेकेदार को पूर्व मे भी दो बार समयवृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है इसके बावजूद कार्य की प्रगति मात्र 32 प्रतिशत थी। जबकि उसकी बैंक गारंटी की वैधता भी दिनांक 19.10.2020 को समाप्त हो चुकी थी। जिसकी वैधता अभी तक नही बढ़ाई गयी थी। साथ ही कार्य स्वीकृति के 3 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी संबन्धित ग्रामवासी सड़क के लाभ से वंचित थे। साथ ही जीएसबी मे स्थानीय सामग्री के स्थान पर उच्च ग्रेड वाली सामग्री दर्शाकर उक्त मद मे भारत सरकार से

`60.69 लाख की अधिक राशि प्राप्त किया जाना भी वित्तीय नियमानुसार उचित नही है, जबकि कार्य स्थानीय सामग्री मे ही किया गया है। साथ ही ठेकेदार द्वारा नियमानुसार इन्शोरेंस न करने पर, उसके बिलो से `7.15 लाख की वसूली की जानी चाहिए थी। जो नही की गयी।

अत: प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर 3- अपूर्ण निर्माण कार्य पर नियमो के विरुद्ध रु 479.65 लाख धनराशि व्यय किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड -06 के प्रावधान नियम 378 के अनुसार बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए इसी प्रकार पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ दिशा निर्देश पुस्तिका 2015 के नियम 6.12 व 9.3 के अनुसार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -16 के अंतर्गत संख्या यू टी -11-81 के अनुसार बिकोल से भंडारकी मोटर मार्ग स्टेज-1 एवम 2 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या पी 17024/24/2017 आर सी (एफ़एमएस-355978) दिनांक 25.04.2018 के द्वारा 12.025 कि॰मी॰ नई सड़क निर्माण हेतु रु 935.24 लाख की प्राप्त हुई थी यह निर्माण कार्य दिनांक 02/01/2019 को प्रारम्भ हुआ एवं दिनांक 01/2/2020 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि स्वीकृत राशि रु 935.24 लाख के सापेक्ष रु 497.65 लाख राशि व्यय की गयी थी। अर्थात लेखापरीक्षा तिथि तक 50 प्रतिशत ही निर्माण कार्य किया गया था। ठेकेदार के विरुद्ध धीमी प्रगति के संबंध मे कोई अर्थदण्ड भी नहीं लगाया गया था आगे लेखापरीक्षा मे यह भी पाया गया कि इस रोड मे स्टेज 1 का कुछ कार्य लो॰नि॰वि॰, चम्बा द्वारा किया गया था क्योकि यह मार्ग लो॰नि॰वि॰, चम्बा से हस्तगत हुआ था, डी॰पी॰आर॰ मे प्रतिकर/ भूमि अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था न ही अधिग्रहण हेतु कोई भी राशि व्यय की गयी थी। जबकि ग्रामीणो द्वारा प्रतिकर की मांग हेतु निर्माण कार्य मे बाधा उत्पन्न की जा रही थी । एसबीडी के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य का बीमा भी नहीं कराया गया था।

उपरोक्त अनियमिताओ के बारे मे पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि प्रतिकर लो॰नि॰वि॰, चम्बा द्वारा ग्रामीणो को दिया जा चुका है लो॰नि॰वि॰ द्वारा ही स्टेज-1 का कार्य किया गया है बैंक गारंटी की अवधि बढाने हेतु ठेकेदार से पत्राचार किया जा रहा है ओर कोविड-19 की वजह से कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पाया है निर्माण कार्य का बीमा कराने हेतु ठेकेदार से पत्राचार किया गया है, कोविड-19 की वजह से अर्थदंड नहीं लगाया गया है, लो॰नि॰वि॰ द्वारा इस खंड को प्रतिकर वितरित करने से संबन्धित पत्रावली हस्तगत नहीं करायी गयी एवं कार्य से संबन्धित अन्य अभिलेख भी इस खंड को उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि कार्य दिनांक 1/2/2020 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था ओर कोविड- 19 दिनांक 20 मार्च 2020 से ही आया था ओर लो॰नि॰वि॰ से यदि मार्ग हस्तगत हुआ था तो मार्ग से संबन्धित अभिलेख भी हस्तगत होने चाहिए थे ताकि लेखापरीक्षा मे पूर्ण विश्लेषण किया जा सके। अत: अपूर्ण निर्माण कार्य पर नियमो के विरुद्ध रु 479.65 लाख धनराशि राशि व्यय करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-4 रु 1659.10 लाख स्वीकृत राशि के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किया जाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 के अनुसार The Contractor at his cost shall provide, insurance cover from the Start Date to the date of completion, for the following risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and

(d) Personal injury or death.

Further the Insurance policies and certificates for insurance was to be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.

(a) The Contractor at his cost was also to provide, insurance cover from the date of completion to the end of Defects Liability Period.

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- निम्नलिखित कार्य निर्माणाधीन है परंतु बीमा नहीं कराया गया था लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि भविष्य मे चालू निर्माण कार्यो का बीमा करने की कार्यवाही की जाएगी उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बीमा विभाग को उपलब्ध होना चाहिए था। यदि बीमा ठेकेदार ने नहीं कराया तो विभाग द्वारा ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती करके बीमा किया जाना चाहिए था।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाख मे	व्यय राशि रु लाख मे
1	गढ़ से खंड मोटर मार्ग स्टेज -1	315.28	129.81
2	चम्बा धारासु मोटर मार्ग से जुगार गाँव मोटर मार्ग	328.30	124.53

3	चमनी-सेमाल्टा मोटर मार्ग	548.29	145.68
4	खैरार से भूत गाँव मोटर मार्ग	467.23	226.40
	कुल रु	1659.10	626.42

अत: रु 1659.10 लाख स्वीकृत राशि के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग- 2 (ब)</u>

प्रस्तर - 5 : नियम विरुद्ध वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण कार्मिकों को ₹6.36 लाख का वेतन/भत्तों का अधिक भुगतान किए जाने का प्रकरण।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड, चम्बा, टिहरी गढ़वाल में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जांच में पाया गया कि:-

(क) खंड में कार्यरत श्री जातेश कुमार, सहायक अभियन्ता एवं श्री दर्मियान सिंह असवाल, सहायक अभियन्ता की सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार उक्त दोनों कार्मिकों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः दिनांक - 16.08.2014 एवं 06.08.2014 को प्रथम वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य किया गया है एवं अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2015 को अनुमन्य की गयी है। नियमानुसार उक्त दोनों सहायक अभियन्ताओं को अगली वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2016 को अनुमन्य की जानी थी परंतु जांच में पाया गया कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतन निर्धारण करते समय उक्त दोनों सहायक अभियन्ताओं को पुनः दिनांक 01.01.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमन्य की गयी है। इसके उपरांत उक्त दोनों कार्मिकों की अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 30.06.2016 को पदोन्नति होने पर पुनः एक वेतन वृद्धि देते हुए वेतन निर्धारण किया गया है जो कि नियम विरुद्ध है क्योंकि उक्त दोनों कार्मिक प्रथम ए0सी0पी0 प्राप्त होने की तिथि से ही सहायक अभियन्ता के पद का वेतन प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार नियम विपरीत वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण उक्त दोनों कार्मिकों को वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने की तिथि 01.01.2016 से 31.12.2020 तक की अवधि में कुल धनराशि रु0 3,58,872/- (@1,79,436*2)वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण संलग्न तालिका-I के अनुसार है।

(ख) खंड में कार्यरत 03 अपर सहायक अभियन्ताओं की सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार (1) श्री दिनेश घलवान, (2) श्री राधेश एवं (3) श्री जगदीश प्रसाद को प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक अनुभाग-2), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4213/प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक-2/ई-06/जी0 दिनांक- 05.11.2019 के द्वारा अपर सहायक अभियन्ता के पद का नॉन फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य करते हुए प्रोन्नत किया गया है। कनिष्ठ अभियन्ता (वेतन स्तर-07) से अपर सहायक अभियन्ता (वेतन स्तर-08) के पद पर नॉन फंक्शनल वेतनमान के अंतर्गत प्रतिस्थापित किए जाने पर उक्त सभी कार्मिकों को पदोन्नति के अनुसार वेतनवृद्धि अनुमन्य करते हुए वेतन निर्धारण

किया गया है, जबकि शासनादेश संख्या- 499/XXX(2)/2015 दिनांक- 17.12.2015 के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के मध्य सृजित अपर सहायक अभियन्ता का पद पदोन्नति का पद नहीं है। इस प्रकार नियम विपरीत वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण उक्त सभी कार्मिकों को वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने की तिथि से दिसंबर 2020 तक की अवधि में कुल धनराशि रु0 2,57,562/- (क्रमशः @1,08,174+74,694+74,694)वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण संलग्न तालिका-I के अनुसार है।

(ग) श्री लक्ष्मण प्रसाद खनाल, वरिष्ठ सहायक की सेवा पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार श्री खनाल को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष जुलाई माह में दी जाती है एवं 01.07.2015 को अनुमन्य की गयी है। नियमानुसार श्री खनाल को अगली वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2016 को अनुमन्य की जानी थी परंतु जांच में पाया गया कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतन निर्धारण करते समय श्री खनाल को पुनः दिनांक 01.01.2016 को भी वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमन्य की गयी है जो नियम विरुद्ध है। इस प्रकार नियम विरुद्ध वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण श्री खनाल को वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने की तिथि 01.01.2016 से 24.10.2019 (वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति तिथि) तक की अवधि में कुल धनराशि रु0 19,080/-वे तन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण संलग्न तालिका-I के अनुसार है।

(*अधिक भुगतानित राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना हेतु calculation sheet संलग्न है। उक्त गणना खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी अभिलेखों/ साक्ष्यों एवं कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज मूलवेतन की प्रविष्टियों एवं यथा-समय लागू मंहगाई भत्ते की दरों के आधार पर की गई है।)*

इस प्रकार समय नियम विरुद्ध वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण उक्त सभी कार्मिकों को उपरोक्तानुसार वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने की तिथि से दिनांक 31.12.2020 तक की अवधि में कुल धनराशि ₹6,35,514/- वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है। प्रकरण के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के संबंध में नियमानुसार जांच कर वसूली की कार्रवाई की जायेगी। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: नियम विरुद्ध वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण कार्मिकों को ₹6.36 लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी ।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी ।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰ वाई॰ ,सिचाई खंड, चम्बा, टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री आर. पी. पंत	अधिशासी अभियंता
(2)	श्री निमी सिंह	अधिशासी अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, सिचाई खंड, चम्बा, टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए। विगत संप्रेक्षा से अब तक कोई भी खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध नहीं रहे थे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II (Non-PSU)